उक्त वर्णित भूमि के वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 से 3 खातेदार दर्ज किये हैं। प्रकरण में प्रतिवादीगण 1 व 2 के पिता सुरजाराम द्वारा अपने हिस्से की समस्त भूमि का विक्रय किया जा चुका है लेकिन राजस्व रिकार्ड में सुरजाराम पु. माधा हि. 0.39 है। भूमि वर्तमान में भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड है जबकि उक्त वर्णित 0.39 है. भूमि वादीगण की खातेदारी में दर्ज होनी चाहिए थी। उक्त विवेचन से राजस्व रिकार्ड से सुरजाराम पि. माधा हि. 0.39 है. का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया किया जाना तथा उक्त वर्णित भूमि का खातेदार वादीगण को घोषित किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा डिक्री इस आशय की दी जाती है कि ग्राम पंचायत की सरहद में स्थित भूमि ख.नं. 458, 459, 479, 482, 493, 494, 2592/2344, 2600/452, 2601/451, 2910/453, 2911/453, 2913/453 किता. 12 कुल रकबा 1.58 है में दर्ज सुरजाराम पुत्र माधा हि. 0.39 है. का नाम हटाया किया जाता है तथा उक्त वर्णित 0.39 है. का सुरजा पु. माधा के बजाय वादीगण 1 से 3 को खातेदारकास्तकार घोषित किया जाता है तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

दस्तावेज फैसल शुमार होकर नकल के काबिल हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.5.18 को कैम्प कोर्ट पीरवा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Scanned by CamScanner